

निकट भविष्य में एमडीएल के सीएसआर परियोजनाओं का इम्पैक्ट एसेसमेंट स्टडीज़ को करने के लिए एजेंसियों के एमपैनेलमेंट हेतु एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) का इन्विटेशन

एमडीएल ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं का उत्तरदायित्व लिया है जो विभिन्न क्षेत्रों से संबन्धित है यथा कौशल विकास, एकीकृत ग्राम विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत परियोजनाएं। प्रमुख परियोजनाओं में टायलेट ब्लॉक का निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाईट का प्रबंध, विकलांग (पीडबल्यूडी) लोगों को सहायक उपकरण और यंत्र का वितरण, कौशल विकास आदि शामिल है। इन सीएसआर पहलें की प्रभावशीलता और जीवन पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन के लिए, एमडीएल ऐसे एजेंसियों की सूची तैयार करने का विचार कर रही है जिनके पास सीएसआर क्षेत्र में विकास करने हेतु पर्याप्त और प्रासंगिक अनुभव है। एमडीएल इन एजेंसियों की सेवाओं को विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के इम्पैक्ट एसेसमेंट करने के लिए प्रयोग कर सकती है। इसलिए एमडीएल इस कार्य को करने के लिए योग्य और इच्छुक एजेंसी से तकनीकी प्रस्ताव (अनुलग्नक'अ') के साथ एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) का आमंत्रण करती है।

इच्छुक पार्टी ईओआई के साथ तकनीकी प्रस्ताव को 05 जनवरी,17 तक अथवा 05 जनवरी,17 के पहले 1430 बजे तक, आईएसटी मप्र (सीएसआर) एमडीएल को जमा कर सकता है।

एमडीएल के साथ एमपैनेलमेंट के लिए पात्रता परियोजना कार्यान्वयन करने के लिए इम्पैक्ट इवैलुएशन के सीएसआर पहल के अंतर्गत

- i) एनजीओ/ स्वैच्छिक संस्थान/ पब्लिक ट्रस्ट/ एजेंसी जिनके पास कम से कम 03 वर्ष का कार्य अनुभव भारत सरकार / राज्य सरकार/यूनन जैसी एजेंसी/ द्विपक्षीय/ बहु-पक्षीय फंडिंग/ पार्टनर एजेंसी और सीपीएसई में शामिल कॉर्पोरेट, सामाजिक विकास के क्षेत्र में जिसके पास वैध पंजीकरण हो/ राज्य/ भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- ii) यदि कंपनी अधिनियम/ पंजीकृत फ़र्म/ प्रोपराईटशिप/ कॉऑप्रेटिव/ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम/ राज्य/ केंद्रीय सरकार प्राधिकरण भारत/ अन्य किसी के अंतर्गत पंजीकृत हो।
- iii) वैध पैन और सर्विस कर पंजीकरण होना चाहिए। (कृपया पैन कार्ड के स्व प्रमाणित प्रति प्रदान करें)।
- iv) किसी एजेंसी के संबंध में आवेदन जो राज्य सरकार/ भारत सरकार/ कॉर्पोरेट अथवा किसी फंडिंग/ पार्टनर एजेंसी जो इनके द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई है ऐसे एजेंसी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- v) इम्पैक्ट इवैलुएशन व्यवसाय से प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों यथा 2013-14 और 2014-15, 2015-16 में रु. 2.0 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। एजेंसी को परियोजनाओं का इम्पैक्ट इवैलुएशन कार्यान्वयन के संचालन का अनुभव स्वच्छता, कौशल विकास, सोलर इलैक्ट्रिफिकेशन, सहायक उपकरण और पीडबल्यूडी के लिए यंत्रों का वितरण तथा एकीकृत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो।

(उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र से संबन्धित रिपोर्ट की प्रति पेश करनी चाहिए)

vi) सीपीएसई के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों यथा 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में कम से कम 05 इम्पैक्ट इवैलुएशन स्टडी संचालन किया हो।

vii) एजेंसी ने स्टडी का उत्तरदायित्व स्वयं लिया हो अन्य किसी एजेंसी के माध्यम से नहीं।

इंपैनलमेंट प्रक्रिया

स्टेज 1	योग्य एजेंसियों द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट तकनीकी प्रस्ताव के साथ पेशकिया गया हो
स्टेज 2	<p>एजेंसियों जिन्होंने योग्यता मानदंड को पूरा किया हो उन्हें अगले चरण के लिए विचार किया जाएगा यथा तकनीकी प्रस्ताव मूल्यांकन। तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्न पर आधारित होगा:-</p> <p>i)सरकारी/ प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ एजेंसी के काम करने का अनुभव</p> <p>ii) सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस/ सीपीएसई के लिए सीएसआर परियोजनाओं के मूल्यांकन क्षेत्र में कार्यानुभव</p> <p>iii)परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर इम्पैक्ट इवैलुएशन अनुभव स्वच्छता, कौशल विकास, सोलर इलेक्ट्रिकेशन, सहायक उपकरणों पीडबल्यूडी का और वितरण तथा एकीकृत ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुभव।</p> <p>iv)एजेंसी का आउटरीच जैसे राज्यों की संख्या/ संघ राज्य क्षेत्रों को एजेंसी द्वारा शामिल किया गया है।</p> <p>v)संख्या/ एजेंसी के वेतन पत्र पर सबजेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की विभिन्नता/संख्या।</p> <p>vi)अन्य पीएसयू/ सरकारी/ मंत्रालयों/ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ एमपैनलमेंट।</p> <p>vii)इम्पैक्ट इवैलुएशन के क्षेत्र में पुरस्कार और उपलब्धियां</p>
स्टेज 3	वे एजेंसियां जो तकनीकी प्रस्ताव में पास होती हैं उन्हें एमडीएल के साथ एमपैनलमेंट के लिए "इन-प्रिंसिपल" अनुमोदन जारी किया जाएगा और उन्हें सकाजा पर हस्ताक्षर करना होगा।
स्टेज 4	एमपैनलमेंट एजेंसी से तकनीकी प्रस्ताव/ बीड मंगाई जाएगी (जैसे और जब एमडीएल को आवश्यक होगा)।
स्टेज 5	वित्तीय प्रस्ताव/ बीड का मूल्यांकन किया जाएगा और लोएस्ट 1 (एल-1) एजेंसी को कार्य का आबंटित किया जाएगा।

नोट: एमडीएल से साथ एमपैनलमेंट से एजेंसी को कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। एमडीएल के साथ कोई एमपैनलड एजेंसी अनुबंध की मांग नहीं कर सकता है।

स्कोप ऑफ वर्क:

- 1) एमडीएल द्वारा चुनी हुई सीएसआर परियोजनाओं का इम्पैक्ट एसेसमेंट / इवैलुएशन किया गया है।
- 2) एमडीएल के सीएसआर परियोजनाओं का समुदायों/ व्यक्तियों के जीवन पर एमडीएल परियोजना क्षेत्र की सीमा में और अन्य संबन्धित स्थानों में प्रत्यक्ष / परोक्ष असर का अध्ययन।
- 3) सीएसआर परियोजना के जागरूकता सीमा का मूल्यांकन/ लक्षित लाभार्थियों से संबंधित पहल/ संबंधित अंशधारक और कुल लाभार्थी जो अपने सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारना चाहते हैं।
- 4) परियोजना कार्यान्वयन कि प्रक्रिया में कथित लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ सामंजस्य को जानना, परियोजना का अनिवार्य धारक मानकर मूल्यांकन किया जाता है जिन्हें पहले ही प्राप्त लिया गया है।
- 5) परियोजना पहचान में को पहचानना, लाभार्थियों का शामिल होना, परियोजनाओं का कार्यान्वयन और सुधार हेतु सिफारिशें।
- 6) व्यापक असमानता और भविष्य संदर्भ के लिए उच्च मान का इम्पैक्ट एसेसमेंट बनाना।
इम्पैक्ट एसेसमेंट के लिए डेटा निम्न स्रोत द्वारा लिया जा सकता है:
अ) प्राथमिक स्रोत लक्षित लाभार्थियों/ समुदाय प्रतिनिधि/ पीआरआई और सरकारी अधिकारियों आदि से अंशधारकों का साक्षात्कार कर।
आ) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, जिला प्रशासन और एमडीएल के पास उपलब्ध गौण डेटा का संग्रह कर।
इ) तीसरा इनपुट के लिए अन्य अंशधारकों द्वारा।
- 7) कम से कम 10 सफल लाभार्थियों / घरों के केस स्टडीज़ को जमा करना होगा जिसे इस परियोजना के इंपैनेलमेंट से लाभ हुआ है।

उपरोक्त सूची सूचनात्मक है पर सम्पूर्ण नहीं है। प्रत्येक अध्ययन/ कार्य का विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क/ इम्पानेल्ड एजेंसी से वित्तीय बीड मांगते समय निर्दिष्ट किया जाएगा।

एमडीएल अधिकारी का संपर्क विवरण

डॉ हिरें देसाई

मुचिअ/ महाप्रबंधक (सीएसआर)

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

एमडीएल - दवाखाना,

मुंबई : 400 010

दूरभाष - 022 23764200

ईमेल : hrdesai@mazdock.com

अनुलग्नक 'अ'

एजेंसियों के एमपैनेलमेंट इम्पैक्ट मूल्यांकन और मॉनिटरिंग के लिए आवेदन प्रारूप

1. नाम एवं जगह

क्रं सं	विशिष्ट	विवरण
1	एजेंसी/ एजेंसी का नाम	
2	मुख्यालय का पता (पता का प्रमाण साथ जोड़े)	
3	एजेंसी का मूल राज्य	
4	अध्यक्ष महोदय का नाम एवं फोन नं	
5	निदेशक का नाम एवं फोन नं	
6	कार्यालय का फोन नं	
7	फैक्स	
8	ईमेल	
9	वेब	
10	पंजीकरण नं (प्रमाण जोड़े)	

2. क्षेत्रीय/ फील्ड कार्यालय का ब्योरा

क्रं सं	क्षेत्रीय/ फील्ड कार्यालय का ब्योरा

3. मण्डल सदस्य संचालन मण्डल सदस्य का संक्षिप्त परिचय:

क्रं सं	नाम	पदनाम/ एजेंसी में कार्य/ संचालन निकाय	योग्यता	पुरस्कार/ उपलब्धि

(सामान्य निकाय/ मण्डल सदस्य के सयोजन की प्रति जोड़े)

4. कार्यगत क्षेत्र

क्रं सं	जहां एजेंसी कार्य कर रही है उस राज्य/राज्यों का नाम	जिला का नाम	अवधि (वर्ष से तक)	परियोजनाओं का नाम

(कार्य आवंटन पत्र/ कार्य समाप्त प्रमाण पत्र की प्रति जोड़े)

5. एजेंसी का उद्देश्य/ अधिदेश

6. एजेंसी किसी एजेंसी/डोनर द्वारा ब्लैकलिस्ट हुई हो? (हाँ/नहीं)
(ब्लैकलिस्ट न होने का अन्दरटेकिंग जोड़े)

7. पिछले 03 वर्षों का वार्षिक टर्नओवर:

क्रं सं	वर्ष	कुल टर्नओवर (रु. में)	इम्पैक्ट एवैलुएशन व्यापार से टर्नओवर (रुपये. में)
1	2015-16		
2	2014-15		
3	2013-14		

(सीए द्वारा प्रमाणित परीक्षण का लेखा परीक्षा स्टेटमेंट जोड़े)

8. इस दिनांक तक सबजेक्ट मैटर एक्सपर्ट वर्किंग का ब्योरा:

क्रं सं	अधिकारी का नाम	योग्यता	सेक्टर/ कौशल	एजेंसी के साथ कार्य करने की अवधि	संबन्धित क्षेत्र में कुल अनुभव वर्ष

(टिप्पणी: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत जैसाकि सूचित है सबजेक्ट मैटर संबन्धित क्षेत्र से होना चाहिए)

नियुक्ति पत्र, सी वी, वेतन पत्र, फॉर्म 16 और उपरोक्त विशेषज्ञ के के अनुभव और योग्यता से संबन्धित संबद्ध दस्तवेज के साथ संस्थान के प्रमुख द्वारा उक्त तिथि तक उपरोक्त लिखित विषय विशेषज्ञ के रूप में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र

9. इम्पैक्ट एवैलुएशन से संबन्धित कार्य अनुभव

क्रं सं	वर्ष	परियोजना का नाम	फंडिंग एजेंसी का नाम	परियोजना की अवधि	कुल लागत

--	--	--	--	--	--

(कार्य आवंटन पत्र/ कार्य समाप्त प्रमाण पत्र की प्रति जोड़े। कम से कम 2-3 पूर्ण रिपोर्ट जोड़े)

नोट: पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक सीपीएसई के लिए एजेंसी ने कम से कम 05 इम्पैक्ट इवैलुएशन संचालित किया हो।

10. सीएसआर परियोजनाओं के इम्पैक्ट इवैलुएशन से संबन्धित कार्य अनुभव

क्रं सं	वर्ष	परियोजना का नाम	फंडिंग एजेंसी का नाम	परियोजना की अवधि	कुल व्यय

11. पुरस्कार और उपलब्धि

क्रं सं	पुरस्कार अथवा उपलब्धि का नाम	परियोजना/ कार्य का नाम जिसके लिए पुरस्कार अथवा उपलब्धि प्रदान की गई	पुरस्कार अथवा उपलब्धि का वर्ष	पुरस्कार अथवा उपलब्धि प्रदान करने वाले एजेंसी का नाम और स्थान

12. सरकारी / अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ इंपैनेलमेंट

क्रं सं	सरकारी/ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का नाम	इंपैनेलमेंट वर्ष	परियोजनाओं की संपूरी की गई

टिप्पणी: संबद्ध दस्तावेज़/ अधिसूचित इंपैनेलमेंट सूची / इंपैनेलमेंट लिंक जोड़ना चाहिए

13. सीएसआर परियोजनाओं के इम्पैक्ट इवैलुएशन उत्तरदायित्व के लिए प्रस्तावित मेथाडलाजी

14. अन्य कोई जानकारी :

15. घोषणाएँ

- क) मैं/ हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मेरी/ हमारी फ़र्म/ कंपनी/ सोसाइटी/ ट्रस्ट कभी भी किसी राज्य सरकार/ भारत सरकार / सरकारी विभाग और/ अथवा यूएन जैसी एजेंसी/ द्विपक्षीय/ बहु-पक्षीय फंडिंग/ पार्टनर एजेंसी और सीपीएसई सहित कॉर्पोरेट, किसी भी समय किसी भी प्रकार की सेवाओं के लिए बहिष्कृत/ ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ हैं/हुई हैं।
- ख) मैं/ हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि, कोई भी प्रासंगिक जानकारी इस ईओआई/ तकनीकी प्रस्ताव के संबंध में सूचना देने की प्रक्रिया में छोड़ी/ छुपाई नहीं गई है।
- ग) मैं/ हमने अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत करते समय इस ईएआई को पढ़ा और जांच किया है। इसले आगे, यह माना गया है कि यह ईओआई केवल भविष्य के इम्पैक्ट एसेसमेंट वर्ष के संभावित इंपैनेलमेंट के लिए एक प्रयास है। फिर भी, यह किसी पार्टी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है कि वह ईओआई पेश करें और तलनीकी प्रस्ताव आगे विचार करने के लिए प्रक्रिया में अथवा कार्य आबंटन के लिए करें।
- घ) मैं/ हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यदि हम इंपैनेलमेंट के लिए अथवा भविष्य में कार्य प्राप्त हेतु अथवा तकनीकी/ वित्तीय प्रस्ताव के बारे में सूचना किसी भी प्रकार से अन्य पक्षों को बताते हैं तो हमारा ईओआई/प्रस्ताव/ इंपैनेलमेंट किसी भी समय अनुबंध अवधि के दौरान निरस्त हो सकता है।

कृते एवं मेसर्स की ओर से:

प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर (एजेंसी की मुहर सहित)

(प्राधिकार पत्र सहित):

नाम:

पदनाम:

दिनांक:

स्थान:
